


15.10.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे कोई कार्यवाही नहीं कि जा रही है वादी अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नहीं आए। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से  की जोकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15/10/24

सहायक
एवं उपखण्ड
हनुमानगढ़